झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 56 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती मरियम लकड़ा
ग्रा०- करकट्टा, पो०- राजा
उलातु, राँची

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
राँची ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
कैम्प कार्यालय, राँची।
वाद सं0–56/2023

आज दिनांक–05.10.2023 को राँची परिसदन भवन में जन सुनवाई के दौरान श्रीमती मरियम लकड़ा, ग्राम–करकट्टा, पो0–राजा उलातू, थाना–नामकुम, जिला–राँची का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। प्राप्त शिकायत–पत्र में शिकायतकर्ता को राशन डीलर, स्वयं सिद्ध महिला समिति, नामकुम के विरूद्ध राशन में कटौती कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत–पत्र में स्वयं के गंभीर रूप से बीमार रहने एवं अपने पुत्र के विकलांग होने का भी उल्लेख किया गया है।

आयोग शिकायत–पत्र की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को उपलब्ध कराते हुए यह निर्देश देता है कि राशन डीलर द्वारा जितने दिनों का राशन काटा गया है, उतने दिनों का राशन सवा गुणा मुआवजा सहित लाभुक को उपलब्ध कराया जाए। निदेश दिया गया कि इस वाद को आयोग में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करते हुए अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–31.10.2023 को निर्धारित की जाती है। मामले की अगली सुनवाई आयोग कार्यालय में होगी।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx63